न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

अपील सं० 01/2024 रसद

मैसर्स श्री ओमप्रकाश जाट, उचित मूल्य दुकानदार, ढण्ड शीशवाडा जरिये ओमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढण्ड शीशवाडा तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान

.....अपीलांट

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

विरूद्ध

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

.... रेस्पोडेन्ट

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 9.10.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा अंतर्गत मुकदमा नंबर 42/2017 बउनवानी प्रकरण राज्य सरकार बनाम मै0 ओमप्रकाशन

उपस्थित–1. श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष

2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय — दिनांक:27.12.2024

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 9.10.2017 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत शीशवाडा के एफ पी एस डीलर ओमप्रकाश जाट की पत्र क्रमांक शिकायत/2016/3682 दिनांक 16–12–2016 में जांच के तथ्य निम्न प्रकार है– राशन कार्ड संख्या 200003166050 धांधूराम / चौथी ...0848 भगवती हरिजन/ कालू........00876 विष्णु कुमार/ प्यारो, 000847 जतन कुम्हार/किशनलाल..... 614148 मोतीलाल/रामसिंह सभी बीपीएल 166063 नथोली जाटव/मूल्या जाटव, 000888 विज्जो हरिजन, 4038 सम्पत्ति/ मनोहरी, 00889 जगदीश/भगवती सभी अन्त्योदय पर अप्रैल 16 के पश्चात आज तक मांगने पर भी चयनितो का मिलने वाली रियायती दर का गेहूं चीनी केरोसीन नहीं दिया है। केवल 14148 पर अक्टूबर 16 का गेहूं व सितम्बर 16 का केरोसीन दिया है जो गम्भीर अनियमितता है । इसी प्रकार सामान्य एपीएल/एनआईएस कार्ड संख्या 00755, 00549, 00765,00781, 56766,00750, 0567 पर पिछले कई महीनो से सामग्री नहीं दी गई है मांगने पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया है। इस प्रकार उक्त वितरक ने गम्भीर अनियमितता की है जिस पर अपीलांट को नोटिस दिया गया है व दिनांक 23–02–2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 14–03–2017 को हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत किया व [illegible] में कारण बताओ नोटिस में दर्ज राशन कार्ड संख्या में से 3166050, 00786, [illegible] 0889 राशन कार्ड डिलीट किये जा चुके है व राशन कार्डधारक 0848, [illegible] लेने नहीं आते है एवम् 00847 राशन कार्ड को सही करवा कर ले गया है एवं माल ले रहा है एवं 00755, 00765 सामग्री लेने नहीं आते है 00781, 56766 को पिछले माह सामग्री दी गई है तथा राशन कार्ड संख्या 00750 व 0567 बन्द आ रहे है। प्रवर्तन निरीक्षक जवाब देहन्दा के घर पर जांच करने आया था तथा रात्रि के 8 बजे आया था जबकि जवाब देहन्दा प्रार्थी ने बोर्ड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:35:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

स्टाक व मूल्य सूची का प्रदर्शन कर रखा था। प्रार्थी ने अटेचमेन्टधारी डीलर को मशीन सहित स्टॉक सम्भला दिया था तथा प्रार्थी की पांच माह पूर्व सप्लाई चालू हुई है जो प्रार्थी द्वारा पॉश मशीन उपलब्ध करा दी गई है जिसमें समस्त डाटा उपलब्ध है। वास्तविकता में राजनैतिक द्वेषता के कारण डीलर श्यामसिंह का भाई जो कि प्रेरक पद पर है वह लोगो को उकसाता है। इसके बावजूद उक्त जवाब एवम् प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बताये गये तथ्यो की अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच नहीं की बल्कि सरसरी तौर पर बिना जांच किये ही आरबीट्रेरी तरीके से आदेश पारित कर दिये व प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 09–10–2017 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय विधि विधान एवम् न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जिससे भी निर्णय जेर अपील निरस्तनीय है। प्रथम दृष्टया अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार के अनियमितता की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट को गलत रूप से दोषी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी की कानूनन व इन्साफन भारी भूल है एवं निर्णय व आदेश अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा निरस्तनीय है। अपीलांट के विरूद्ध जो भी अनियमितता के मनमर्जी से आरोप लगाये गये है उन सभी का अपीलांट द्वारा विस्तृत जवाब दिया गया व अपने जवाब के तथ्यों को दस्तावेजो व साक्ष्यो द्वारा प्रमाणित किया गया कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है परन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करने में भारी कानूनी गलती की है जो निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय जेर अपील बहुत ही आरबीट्रेरी व कैप्रिशियस है । अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा ने पूर्णतया मनमानेपूर्ण तरीके से कानून व नियमों की सही विवेचना नहीं कर निर्णय फरमाया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है बल्कि अपीलांट ने नियमानुसार जिन राशन कार्डधारियो के राशन कार्ड डिलीट किये जा चुके है तथा जिनके राशन कार्ड बन्द आ रहे है उन्हें ही सामग्री नहीं दी गई है तथा अपीलांट के विरूद्ध प्रेषित किये गये नोटिस में अधिकांश राशन कार्ड ऐसे ही है जो या तो डिलीट कर दिये गये है या पॉश मशीन में बन्द आ रहे है। उक्त तथ्य पर गौर किये बिना ही व रिकॉर्ड की जांच किये बिना ही अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में भारी कानूनी गलती की है इसलिए आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपना कार्य विधि विधान नियमो तथा कानून कायदो व विभागीय आदेशो के अनुसार किया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जो किसी भी प्रकार से अनियमितता या अपराध की श्रेणी में आता हो तथा अपीलांट के विरूद्ध जो भी आरोप लगाये गये है वे सब मनगढन्त बेबुनियाद व कयासातो के आधार पर लगाये गये है जिनमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है उसके बावजूद भी मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय दिनांक 9.10.2017 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:35:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि दिनांक 3.2.2017 को उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश जाट की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट 21.2.2017 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी ने अपीलांट के प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित किया गया तथा डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.2.2017 को जारी किया गया। राशन कार्ड धारक धांधूराम/चौथी, भगवती हरिजन/कालू, विष्णु कुमार/पारो, जनत कुमार/किशन लाल, मोतीलाल/रामसिंह (सभी बीपीएल) नथोली जाटव/मूला, विज्जो हरिजन, सम्पत्ति/मनोहर (सभी अन्त्योदय) पर माह अप्रेल 2016 व उसके बाद से आज तक मांगने पर भी अत्यन्त गरीब चयनितों को मिलने वाला रियायती दर का गेहूँ, चीनी व केरोसीन नहीं दिया गया है। सामान्य एपीएल राशनकार्ड धारक हेमन्त कुमार, गफूरखा/नवाब खां, विजेन्द्र सिंह, मुहिम कुमार, अरविंद देशवाल, सुरेन्द्र कमार के राशन कार्डों पर राशन सामग्री नहीं दी गई है। उचित मूल्य दुकानदार से मांगने पर गत एक वर्ष का स्टॉक व वितरण संबंधी रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही मासिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत की गई। दुकान के नोटिस बोर्ड पर मूल्य स्टॉक का प्रदर्शन नहीं किया गया। उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध राज0 संपर्क पोर्टल पर बार–2 शिकायत प्राप्त हो रही थी। गत बार उचित मूल्य दुकानदार को निलंबित किया गया था उस वक्त काफी मात्रा में केरोसीन तेल एवं अन्य राशन सामग्री स्टॉक में शेष बची थी जिसको नियमानुसार संबंधित को वितरण हेतु अटैचमेंट वाले उचित मूल्य दुकानदार को दी जानी थी, परन्तु वह सामग्री अटैचमेंट वाले डीलर को नहीं दी गई। साथ ही उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाना भी जांच में पाया गया। डीलर द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों एवं खाध सुरक्षा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. हमने अभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

6. हम्ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त खाध आयुक्त खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का पुनरीक्षण याचिका संख्या 24/2020 में पारित आदेश का अवलोकन किया जो कि इस प्रकार है:–

"हमने उभयपक्ष की बहस को ध्यानूपर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अपील में उठाये गये तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी पर मुख्यतः यह आरोप है कि प्रार्थी/डीलर द्वारा माह अप्रेल 2016 से अन्त्योदय गरीब चयनित को मिलने वाला रियायती दर गेहूँ, चीनी, केरोसीन नहीं दिया जाना, मांगने पर वितरण संबंधी रिकार्ड जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाना, मांगने पर वितरण संबंधी रिकार्ड जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराना, उचित मूल्य दुकान पर नोटिस बोर्ड मूल्य स्टॉक का प्रदर्शन नहीं कराना आदि गंभीर प्रकृति की अनियमितताओं की श्रेणी में आती है। आरोपों के संबंध में प्रार्थी वकील का कथन रहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशवश प्रार्थी के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर झूंठी शिकायत की गई है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 9.10.2017 पारित करने से पूर्व ना तो जांच रिपोर्ट की कॉपी प्रति उपलब्ध कराई गई एवं ना ही प्रार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में सभी अनियमितताओं को नकारा गया है। जहॉ तक प्रार्थी पर लगाये गये आरोपों का प्रश्न है, प्रार्थी द्वारा पेश किये गये जवाब का भली भांति से परीक्षण/जांच किया जाना आवश्यक था, जिसका निर्णय में अभाव रहा है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने निर्णय में जदाब से किस प्रकार संतुष्ठ नहीं है, का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। इसलिए हम प्रकरण रिमांड किया जाना उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally Signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:35:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

अतः प्रार्थी की पुनरीक्षण याचिका आंशिक स्वीकार की जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.1.2020 को अपास्त किया जाकरण प्रकरण जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण में निष्पक्ष रूप से पुनः रिकार्ड से जांच की जावे साक्ष्य एकत्रित किये जावे और प्रार्थी को पुनः सुने जाने, साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर न्याय संगत निर्णय पारित किया जावे।"

7. उपरोक्त माननीय अतिरिक्त खाध आयुक्त, खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर का आदेश जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.10.2017 पर टिप्पणी है जिसमें उन्होनें यह अभिमत दिया है कि अपीलांट को बिना जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2020 पर ना तो कोई टिप्पणी ना ही कोई दिशा निर्देश दिये गये है। चूंकि माननीय अतिरिक्त खाध आयुक्त न्यायालय का आदेश जिला रसद अधिकारी के आदेश में कमीं के संबंध में है। अतः मूल प्रकरण जिला रसद अधिकारी दौसा को इस आदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि वह न्यायालय खाध आयुक्त, खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर की पुनरीक्षण याचिका सं0 24/2020 में पारित आदेश की भली भांति अवलोकन कर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश प्रसारित करें। अपीलांट दिनांक 07.01.2025 को जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:35:11 IST
Reason: SelfAttested